छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजस्व पुस्तक परिपत्रा
6–4

संशोधित
(संशोधित प्रावधान दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 से प्रभावशील)

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4)

(संशोधित दिनांक 4 अक्टूबर, 2008)

विषयः प्राकृतिक प्रकोपों से हुई फसल क्षति, मकान क्षति, जनहानि, पशुहानि एवं अन्य क्षतियों के लिए आर्थिक सहायता ।

———00———

प्राकृतिक प्रकोपों जैसे–अतिवृष्टि, ओला, पाला, शीतलहर, टिड्डी, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, भू–स्खलन, बादल का फटना, मिट्टी या बर्फ का पहाडों से खिसकना, सुनामी, कीट प्रकोप एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल की नुकसान तथा जनहानि और पशुहानि होती है । अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से हानि होती है और व्यक्तियों और पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशुहानि भी होती है । कभी–कभी दुकानों में आग लग जाने से छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है । प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघरबार हो जाते हैं । इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ित को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उसमें मनोबल बना रहे और वह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सकें ।

2. पूर्व में राज्य शासन द्वारा अलग–अलग प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में दी जाने वाली आर्थिक सहायता के निर्देश दिये गये हैं । तथा मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, फिर भी विगत वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुई व्यापक हानि के संदर्भ में यह महसूस किया गया है कि वर्तमान प्रावधानों के अनुसार पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता के मापदण्डों के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया जाकर उनमें संशोधन करना आवश्यक है । प्राकृतिक प्रकोपों से कृषक, भूमिहीन व्यक्ति तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जो क्षति होती है, उसके संदर्भ में शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि उपयुक्त समय में समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सके ।

3. राज्य शासन की ओर से इस परिपत्र के अन्तर्गत जो आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है, उसका उद्देश्य तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, न कि संबंधित को हुई क्षति की पूर्ण प्रतिपूर्ति मुआवजे के रूप में प्रदान करना है किन्तु यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण बहुत अधिक लोगों एवं परिवारों को ऐसी हानि हुई जिसमें वे बेघरबार एवं बेरोजगार हो गये हैं, वहां पर्याप्त राहत पहुंचाई जाये।

4. जब कभी प्राकृतिक प्रकोपों से कोई हानि होती है तब पटवारी, पटेल एवं कोटवार, जो कि स्थानीय राजस्व कार्यकर्ता है, का यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे क्षेत्र के राजस्व अधिकारी यथा नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी को इस बात की तत्काल सूचना दें तथा ये अधिकारी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिले के कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त को आवश्यक रिपोर्ट तत्काल दें । इसी के साथ–साथ तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व एवं कर्त्तव्य भी है कि वे जिस क्षेत्र में इस तरह की हानि हुई है, वहां मौके पर तत्काल पहुंचे तथा नुकसान का आंकलन करने के साथ–साथ तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठावें । यदि नुकसान हुई है तो शासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्धारित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की

तत्काल कार्यवाही करें साथ ही स्थानीय लोगों एवं स्थानीय संस्थाओं से जो जन सहयोग के रूप में सहायता देने को तैयार हैं, उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता को तत्काल पीड़ितों को उपलब्ध कराएँ ।

5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय में संलग्न फार्म 3 में एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें उनके क्षेत्राधिकार में प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और उपलब्ध कराई गई सहायता का पूर्ण विवरण रखा जायेगा ।

6. यदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति केवल किसी कृषक विशेष या व्यक्ति विशेष को ही हुई है तो संबंधित व्यक्ति निर्धारित संलग्न फार्म 2 में आवेदन–पत्र तहसीलदार को दे सकेंगे । तहसीलदार आवेदन–पत्र के तथ्यों को पूर्ण जांच कर निर्धारित सहायता की पात्रता सुनिश्चित करेंगे । यदि सहायता की राशि तहसीलदार के वित्तीय अधिकारी की सीमा में है तो 10 दिन के भीतर सहायता उपलब्ध करावेंगे अन्यथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजेंगे । यदि सहायता की राशि अनुविभागीय अधिकारी के वित्तीय अधिकार की सीमा से अधिक है तो कलेक्टर/संभागीय आयुक्त की स्वीकृति प्राप्त की जाये । सहायता राशि उपलब्ध कराने में इस बात की पूर्ण सावधानी रखी जाय कि पीड़ितों को सहायता राशि आवेदन–पत्र देने के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध हो जाय ।

7. जिन मामलों में प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि के कारण पीड़ित को पुनर्स्थापित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है, उनमें संबंधित पीड़ित व्यक्ति को संलग्न फार्म 1 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा । इस परिपत्र के परिशिष्ट 'एक' के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता तथा ऋण उपलब्ध कराये जा सकेंगे । प्रत्येक मामले में प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत करने के वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :–

1.	संभागीय आयुक्त	5 लाख रूपये से अधिक
2.	कलेक्टर	5 लाख रूपये तक
3.	अनुविभागीय अधिकारी	1 लाख रूपये तक
4.	तहसीलदार	50 हजार रूपये तक

इसी तरह पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं उनमें वित्तीय अधिकार निम्नानुसार होंगे :–

1.	संभागीय आयुक्त	1 लाख रूपये से अधिक
2.	कलेक्टर	50 हजार रूपये तक
3.	अनुविभागीय अधिकारी	20 हजार रूपये तक

8. इस परिपत्र के अनुसार, 'राजस्व अधिकारी' से आशय किसी ऐसे संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से है जिसका क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्र में हो जहां प्राकृतिक प्रकोप से क्षति हुई है।

9. ऐसे मामले जिनमें पीड़ित व्यक्ति जिसकी झोपड़ी/मकान या पशुशाला नष्ट हो गई है, उसे झोपड़ी/मकान या पशुशाला बनाने के लिये निःशुल्क बांस एवं बल्ली उपलब्ध कराई जायेंगी । तहसीलदार निकटतम वन डिपो के रेन्जर को इस आशय की सूचना देंगे कि संबंधित पीड़ित को कितने बांस एवं कितनी बल्लियां दी जाएं। संबंधित वन डिपो इन्चार्ज का यह कर्त्तव्य होगा कि वह तत्काल समुचित मात्रा में बांस बल्लियां पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करें। ऐसे मामलों में अधिकतम मात्रा 50 बांस एवं 30 बल्ली प्रति मकान (पशुशाला सहित) दी जा सकेंगी । बांस बल्ली की डिपो से गन्तव्य स्थान तक ढुलाई व्यय की प्रतिपूर्ति पीड़ित व्यक्ति को अलग से की जावेगी जो कि वास्तविक ढुलाई व्यय के अनुसार होगी किन्तु अधिकतम राशि रू. 1000.00 (रूपये एक हजार) मात्र से अधिक नहीं होगी ।

10. अग्नि दुर्घटनाओं में आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के उपयोग से संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति मांग संख्या–58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्यशीर्ष 2245–प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत 01–सूखा–101–निःशुल्क सहायता–96–अग्नि पीड़ितों को राहत आयोजनेत्तर से की जायेगी ।

11. बाढ़ नियंत्रण के कार्य के लिए सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित जिले के कलेक्टर मांग संख्या–58 के मुख्यशीर्ष–2245 से कर सकेंगे ।

12. इस परिपत्र के अन्तर्गत दी जाने वाली समस्त प्रकार की सहायता अनुदान की राशि मांग संख्या 58 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पर व्यय मुख्यशीर्ष–2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

13. राजस्व अधिकारियों को प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि का आंकलन करने एवं पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही में जनप्रतिनिधियों का अधिक से अधिक विश्वास एवं सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये ।

14. प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि के लिये मांग संख्या–58 मुख्य शीर्ष 2245 में यदि आवंटन उपलब्ध न हो तो कलेक्टर शासन से आवंटन प्राप्त होने की प्रत्याशा में पीड़ितों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक राशि उक्त

शीर्ष से आहरित करने के आदेश दे सकेंगे तथा शासन को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु तत्काल मांग पत्र भेजेंगे ।

15. बगैर सूचना के बांधों का पानी छोड़ने पर प्रभावितों को अनुदान सहायता राशि दी जावे ।

16. इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से पूर्व में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के अन्तर्गत जारी किये गये सभी निर्देश निरस्त माने जायेंगे ।

17. यह संभव है कि प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिये या राहत देने के लिये किसी स्थिति का इस परिपत्र में समावेश न हुआ हो, ऐसा होने पर कलेक्टर तुरन्त शासन से सिफारिश करते हुए योग्य आदेश प्राप्त करेंगे ।

18. इस परिपत्र के अन्तर्गत देय अनुदान सहायता राशि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को चाहे वे राजस्व ग्रामों के निवासी हों या वनग्रामों के निवासी हों, देय होगी । वनग्रामों में भी क्षति का सर्वेक्षण एवं अनुदान सहायता राशि के वितरण का दायित्व संबंधित राजस्व अधिकारी का होगा जिसका निर्वहन वह संबंधित वन अधिकारी के सहयोग से करेगा ।

परिशिष्ट–1

विषयः प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिये शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि और उसके लिये निर्धारित मापदण्ड ।

(एक) –1 फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता –

क	फसल हानि के लिये कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार कृषक की श्रेणी	दी जाने वाली आर्थिक सहायता
1	**2**	**3**
1.	असिंचित 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमिधारित करने वाले कृषक को	(1) 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता की राशि रूपये 2000.00 प्रति हेक्टेयर
		(2) 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता की राशि रूपये 4000.00

		प्रति हेक्टेयर
2.	असिंचित 4 हेक्टेयर किन्तु 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	(1) 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत फसल हानि होने पर रूपये 4000.00 (चार हजार) प्रति हेक्टेयर
		(2) 75 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर रूपये 4000.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 24000. 00 से अधिक नहीं होगी
3.	असिंचित 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	75 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर रूपये 2000.00(दो हजार) प्रति हेक्टेयर की दर से परन्तु देय राशि रूपये 20000.00 (बीस हजार) से अधिक नहीं होगी।
4.	सिंचित/असिंचित4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	पटसन की खेती प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर रूपये 2000.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 8000.00 से अधिक नही होगी ।
5.	सिंचित/असिंचित4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	रेशम या कोसा की खेती प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर रूपये 2500.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 10000.00 से अधिक नही होगी ।
6.	असिंचित 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	बारामासी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर रूपये 2000.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 8000.00 से अधिक नही होगी ।
7.	सिंचित 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	बारामासी फसलों की प्राकृतिक आपदा से क्षति होने पर रूपये 4000.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 15000.00 से अधिक नही होगी ।
8.	सिंचित/असिंचित 10 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक को	फूलों वाली फसलों को प्राकृतिक आपदा से 25 प्रतिशत फसल क्षति होने पर रूपये 2000.00 प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रूपये 4000.00 प्रति हेक्टेयर तथा 75 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रूपये 4000.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 24000.00 से अधिक नही होगी ।

1. किसी भी कृषक को उसके द्वारा कुल धारित वास्तविक कृषि भूमि के आधार पर उपरोक्त दर से अनुदान सहायता देय होगी ।

2. एक हेक्टेयर से कम कृषि भूमि धारित करने वाले कृषकों के लिए न्यूनतम देय राशि 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर रूपये 4000.00 (चार हजार रूपये मात्र) तथा 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होने पर न्यूनतम रूपये 2000.00 (दो हजार रूपये).

नोट :–

1. उक्त प्रयोजन के लिये दो फसलों के लिये दो फसलों के सिंचित खाते का एक हेक्टेयर एक फसल के सिंचित खाते के दो हेक्टेयर एवं असिंचित भूमि के खाते के तीन हेक्टेयर का अनुपात माना जायेगा अर्थात् एक फसल के सिंचित एक हेक्टेयर के खाते को दो हेक्टेयर असिंचित के बराबर तथा दो फसलों के सिंचित एक हेक्टेयर के खाते को तीन हेक्टयेर असिंचित के बराबर माना जायेगा ।

2. कृषक को उपयुक्त देय अनुदान सहायता से कम मूल्य की फसल की क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी ।
3. कृषक का खातेदार होना आवश्यक नहीं है । अनुदान सहायता उस व्यक्ति को दये होगी जिसके द्वारा फसल बोई गई हो अर्थात् खातेदार की सहमति से वास्तविक कब्जेदार हो ।
4. फसल हानि के अन्तर्गत पान के बरेजे, सब्जी व फलों के बार, खरबूजे, तरबूजे आदि की खेती और बाग भी शामिल होंगे, चाहे वे सामान्य खेतों में हो या नदी किनारे हों अर्थात् सभी प्रकार की उगाई जाने वाली फसलें इनमें सम्मिलित मानी जाएगी । इसके साथ–साथ फलदार पेड़ चाहे वे किसी ग्रामीण के हो अथवा खातेदार के हों, पेड़ों पर लगी फसल नष्ट होने पर रूपये 500.00 (रूपये पांच सौ) प्रति पेड़ की दर से अनुदान सहायता दी जावेगी परन्तु अधिकतम देय सहायता राशि रूपये 20000.00 (रूपये बीस हजार) होगी । आम, संतरा नीबू के बगीचों को देय अधिकतम अनुदान सहायता राशि रूपये 15000.00 (रूपये पन्द्रह हजार) होगी ।

   पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसलों को नुकसान होने पर प्रति वृक्ष के बजाय रूपये 6000.00 (रूपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान सहायता दी जायेगी परन्तु अधिकतम अनुदान सहायता राशि रूपये 18000.00 (रूपये अठारह हजार) होगी ।
5. पान बरेजा नष्ट होन पर प्रभावित कृषक को फसल हानि के लिये निर्धारित आर्थिक अनुदान सहायता से दो गुनी आर्थिक अनुदान सहायता देय होगी और इसके अतिरिक्त तथा आवश्यकतानुसार अधिकतम 100 बांस भी निःशुल्क देय होंगे ।
6. फसल खलिहान में रखी हो या खेत में पड़ी हुई हो, ऐसे किसी फसलों के प्राकृतिक प्रकोपों से क्षति होती है या आग लगने से फसल नष्ट हो जाती है तो उसके लिये आर्थिक अनुदान सहायता का मापदण्ड उपर्युक्तानुसार ही होगा ।
7. फसल हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता प्राप्त करने की पात्रता केवल कृषक/खातेदार को ही होगी । कुछ मामलों में भूमिहीन कृषक मजदूर (चेतुआ मजदूर भी) जिन्हें मजदूरी के रूप में अनाज प्राप्त होता है और यदि अनाज प्राकृतिक आपदा या आग लगने से नष्ट हो जाता है और प्रत्येक मामले में कलेक्टर पूर्ण जांच करके संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें आर्थिक अनुदान सहायता दे सकेंगें । ऐसे मामलों में अधिकतम आर्थिक अनुदान सहायता प्रति परिवार रूपये 5000/–

(रूपये पांच हजार) दिया जा सकेगा । जो अनाज जलकर नष्ट हुआ है उसकी मात्रा को ध्यान में रखकर कलेक्टर स्वविवेक से इस अधिकतम सीमा के भीतर आर्थिक अनुदान की राशि स्वीकृति कर सकेंगे। आकलन में यह भी देखा जायेगा कि चेतुआ मजदूरों का अनाज खुले में रखे कुल अनाज का 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो ।

8. खातेदार यदि स्वयं खेती कर रहा है तो उसे अथवा उसकी सहमति से जो व्यक्ति खेती कर रहा है, वह अनुदान सहायता का पात्र होगा ।
9. देवस्थानी भूमि का यदि किसी व्यक्ति या पुजारी को वैधानिक पट्टा दिया गया है तो पट्टेदार को सहायता अनुदान की पात्रता होगी ।
10. प्राकृतिक प्रकोपों से संपूर्ण फसल नष्ट होने पर प्रभावित कृषक को अनुदान सहायता के अतिरिक्त ऋण की भी सुविधा होगी जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 20000.00 (रूपये बीस हजार) होगी । ऋण की सहायता मांग संख्या–58 मुख्यशीर्ष–6245 देवी विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए ऋण अंतर्गत विकलनीय होगा ।
11. फसल गेरूआ रोग से प्रभावित होने पर कृषि विभाग की अनुशंसा पर अनुदान सहायता देय होगी ।
12. यदि किसी वर्ष विपरीत मौसम के कारण फसलों पर कीट प्रकोप एक महामारी का रूप ले लेता है और उस कारण यदि भौगोलिक रूप से जुड़े एक बड़े क्षेत्र में फसलों की 50 प्रतिशत से अधिक हानि होती है तो कृषि विभाग के परामर्श से पीड़ित कृषकों की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधानों के अनुसार सहायता देय होगी । यह सहायता विशेष अनुदान सहायता के रूप में मानी जायेगी ।
13. प्राकृतिक आपदा/बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में कम से कम 3 इंच रेत/पत्थर/गाद आ जाने पर सफाई हेतु प्रति हेक्टेयर रूपये 6000/– (रूपये छः हजार) की राशि देय होगी। देय सहायता रूपये 24000/– (रू.चौबीस हजार) से अधिक नहीं होगी। उक्त अनुमान सहायता लघु एवं सीमान्त कृषकों को ही पात्रता होगी।

(एक)–2 कृषि पालन हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को आन्तरिम राहत अनुदान सहायत (प्दचनज ैनइेपकल)–प्राकृतिक प्रकोपों जैसे–अतिवृष्टि, ओला, पाला, शीतलहर, टिड्डी, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, भू–स्खलन, बादल का फटना, मिट्टी या बर्फ का पहाडों से खिसकना, सुनामी, कीट प्रकोप एवं अग्नि दुर्घटनाओं से फसल की क्षति होती है तो 2 हेक्टेयर तक भूमि धारित कृषकों को निम्नानुसार अंतरिम राहत अनुदान सहायता प्रदान की जावेः–

1. असिंचित फसल क्षति हेतु रूपये 2000.00 प्रति हेक्टेयर ।
2. सिंचित फसल क्षति हेतु रूपये 4000.00 प्रति हेक्टेयर ।
3. बारामासी फसलों की क्षति हेतु रूपये 6000.00 प्रति हेक्टेयर परन्तु देय राशि रूपये 12000.00 से अधिक नही होगी।

नोटः–ऐसी कृषि योग्य भूमि जो बोई नही गयी है, उक्त कृषकों को अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।

(एक)–3 कृषि पालन हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को मलवा हटाने हेतु अनुदान सहायता :–भू–स्खलन, पहाड़ों से बर्फ का खिसकना एवं नदी के मार्ग बदलने पर कृषि योग्य भूमि से मलवा हटाने हेतु रूपये 15000.00 प्रति हेक्टेयर देय अनुदान सहायता राशि रूपये 45000.00 से अधिक नही होगी।

(दो)–1 **पशुहानि के लिए आर्थिक सहायता की राशि (चाहे वह खातेदार हो अथवा भूमिहीन हो)**

(राशि रूपये में)

क.	(अ) दुधारू पशु	राशि प्रति पशु
1	भैंस	10000.00
2	गाय	10000.00
3	ऊंट	10000.00
4	भेड़	1000.00
5	बकरी	1000.00
	(ब) भरवाही या सूखे जानवर	
1	ऊंट	10000.00
2	घोड़ा	10000.00
3	बैल	10000.00
4	भैंसा	10000.00
5	बछड़ा	5000.00
6	गधा	5000.00
7	सुअर	5000.00
8	खच्चर	5000.00
9	बच्चा–भैंस, घोड़ा, गाय	1000.00
10	बच्चा–भेड़, बकरी	500.00
11	प्राकृतिक आपदा के समय घरेलू पोल्ट्री में पल रहे पक्षियों हेतु (यदि ग्रा.वि.वि.या अन्य संस्था द्वारा ऋण से खरीदी गयी हो) ।	40.00प्रति पक्षी तथा प्रति हितग्राही को रूपये 400.00 से अधिक नही होगी।

नोट :

1. उपरोक्त अनुदान सहायता प्रति व्यक्ति को एक बड़े दुधारू/भारवाही पशु या चार छोटे दुधारू, दो छोटे भारवाही पशुओं के लिये ही अनुदान सहायता की पात्रता होगी।
2. उपरोक्तानुसार अनुदान सहायता सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हुई पशुहानि के लिए देय होगी । ऐसे आपदा जिसमें सर्पदंश से मृत्यु होने पर भी आर्थिक अनुदान सहायता देय होगी । इसमें आग के कारण जलने से हुई पशुहानि सम्मिलित मानी जाए ।

3. उपरोक्त अनुदान सहायता ऐसे सभी भूमि धारक/भूमिहीन कृषक/भूमिहीन कृषक मजदूर को प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
4. एक से अधिक पशुहानि की स्थिति में प्रत्येक पशुहानि का उपरोक्तानुसार निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को सहायता मिलेगी ।
5. प्राकृतिक प्रकोप या उनसे उत्पन्न घास, भूसे या पानी की कमी के कारण पशु की मृत्यु हुई है तो इस परिपत्र के अन्तर्गत ऐसी पशुहानि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी किन्तु ऐसे मामलों में कलेकटर पूर्ण जांच कर पशुधन विभाग से परामर्श कर तथा स्वयं के समाधान के बाद प्रमाणित करेंगे।

(दो)–2 प्राकृतिक आपदा के समय पालतु पशुओं को पशुचारा हेतु 20 रू. प्रति पशु प्रतिदिन बड़े पशुओं के लिए तथा 10 रू. प्रति पशु प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिए प्रभावित हितग्राहियों को सहायता देय होगी परन्तु उक्त राशि प्रतिहितग्राही 100 रू. प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी ।

नोट :–

(1) उक्त प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पशुचारे में कमी होने पर कृषि एवं पशुपालन विभाग की अनुशंसा पर उक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत सहायता के रूप में देय होगी ।

(2) बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित हितग्राहियों के साथ पशु भी प्रभावित होते हैं । इस संबंध में पशुपालन विभाग के परामर्श पर उक्त सहायता राशि देय होगी ।

(दो)–3 आपदा के समय पशुओं के लिये राहत कैम्पों का संचालन :–

प्राकृतिक आपदा जैसेः–सूखा, बाढ़, भूकम्प, अग्निदुर्घटना, तूफान आदि के समय प्रभावित क्षेत्रों में व्यक्तियों के अतिरिक्त पशु भी प्रभावित होते है । उन्हे तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत 15 दिन तक राहत कैम्प संचालित कर सकेंगे । तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारे की कमी को दृष्टिगत रखते हुए 60 दिन तक अस्थायी कैम्प कलेक्टर संचालित कर सकेंगे । इससे अधिक अवधि 90 दिन तक राहत कैम्प संचालन की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा राहत निधि के संचालन हेतु गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। पशुचारा आदि के व्यवस्था हेतु रूपये 20 /– प्रतिदिन प्रति पशु के मान से व्यय किया जायेगा। तथा कैम्प पर वास्तविक व्यय करने का अधिकार कलेक्टर को होगा।

(तीन) नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी :

(1) पूर्ण नष्ट पक्का/कच्चा मकान :

पक्का मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 20000.00 (रूपये बीस हजार) तक प्रति मकान सहायता राशि देय हागी । भूमिहीन मजदूर के लिये अधिकतम रूपये 25000.00 (रूपये पच्चीस हजार) तक प्रति मकान देय होगा । कच्चा मकान पूर्णतः नष्ट हो जाने पर आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 8000.00 (रू. आठ हजार) तक प्रति मकान सहायता राशि देय होगा। भूमिहीन मजदूर के लिये अधिकतम रू. 10000.00 (रूपये दस हजार) तक प्रति मकान देय होगी। पूर्णतः ध्वस्त (नष्ट) हो गए हों तो पूर्ण मकान नष्ट होना माना जाएगा।

(2) 'क' अंशतः क्षतिग्रस्त (पक्का मकान)

मकान अंशतः क्षतिग्रस्त होने पर आकलन के आधार पर अधितम रूपये 4000/- (रूपये चार हजार) तक प्रति मकान सहायता अनुदान दिया जाएगा । भूमिहीन मजदूर का मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर उसे अधिकतम 5000/- रूपये (पांच हजार) तक देय होंगे।

(3) 'ख' अंशतः क्षतिग्रस्त (कच्चा मकान)

मकान अंशतः क्षतिग्रस्त होने पर आकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 2500/- (रूपये दो हजार पांच सौ) प्रति मकान सहायता अनुदान किया जाएगा। भूमिहिन मजदूर का मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर उसे अधिकतम रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) तक देय होंगे।

(क) जिन मकानों में बहुत साधारण क्षति हुई है और कुछ मरम्मत से ठीक किये जा सकते हैं उन मकानों की मरम्मत हेतु अधिकतम रूपये 1200/- (रूपये एक हजार दो सौ) प्रति मकान सहायता अनुदान देय होगा। भूमिहीन मजदूर को इस मद से अधिकतम रूपये 1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ) देय होगा।

(ख) क्षतिग्रस्त मकानों के मलमा हटाने हेतु प्रति मकान रू. 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) राहत सहायता देय होगी ।

(4) **'ग' झोपड़ी के क्षतिग्रस्त**

प्राकृतिक प्रकोपों से अस्थाई आवास, मिट्टी, छप्पर, गीली मिट्टी से बना या प्लास्टिक सीट से बनी झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 2000/- प्रति झोपड़ी अनुदान सहायता प्रदान की जाय। उक्त झोपड़ी स्वयं की आवास भूमि या शासकीय भूमि पर बना हो सभी को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(चार)-1 कपड़ों एवं बर्तनों की क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना, नहर व तालाब फुटने के कारण मकान नष्ट होने के साथ–साथ यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोग के कपड़ों एवं बर्तनों की हानि भी हुई है तो प्रति परिवार रूपये 2000.00 (रूपये दो हजार) तक की अनुदान सहायता दी जाएगी ।

(चार)–2 प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए व्यक्ति को अनुदान सहायता

प्राकृतिक आपदा बाढ़, तूफान, अग्निदुर्घटना, नहर या तालाब के फूटने से मकान नष्ट होने के साथ–साथ यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोगी कपड़ों एवं बर्तनों की क्षति होने पर उक्त परिवार बेघर होने की स्थिति में परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रूपये 20/– प्रतिदिन तथा बच्चों को रूपये 15/– प्रतिदिन अनुदान सहायता दी जायेगी।

(पांच) **मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान** (1) प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिम विपत्तियों के कारण या सर्प, बिच्छु, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना एवं रसोई गैस का सिलेण्डर फटने, खदान धसकने से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रूपये 100000/– (रूपये एक लाख) की सहायता दी जाएगी । इसके लिए मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और जहां संभव हो डॉक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाएगा। मृत्यु होना पाए जाने पर मृतक के परिवार के सदस्य/ निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाएगी। आग से जलने के कारण मृत्यु होने पर भी इसी अनुसार सहायता दिया जाएगा। 'मृत व्यक्ति' में बच्चा भी शामिल समझाा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा। बिजली गिरना नैसर्गिक विपत्ति है । प्रभावित हितग्रहियों को अनुदान सहायता प्रदान की जावें।

(2) बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के आश्रितों को रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार) की आर्थिक सहायता प्रति मृतक के मान से देय होगी ।

नोटः–

1. राज्य के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में होती है तो मृतक व्यक्ति के परिवार को उसके मूल गृह जिले से अनुदान सहायता प्रदान की जाये। मृतक स्थान से घटना का सत्यापन प्राप्त कर कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंवे।

2. आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

3. राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में उपरोक्त आपदाओं के समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस राज्य से घटना स्थल का प्रतिवेदन प्राप्त कर मृत व्यक्ति के मूल निवास जिले में मृतक परिवार को अनुदान सहायता प्रदान की जावे।

4. ऐसे भारतीय नागरिक जो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिये है राज्य में उपरोक्त आपदाओं से मृत्यु होती है तो उनके परिवार को आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।

5. उपरोक्त प्राकृतिक आपदा के समय किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु होती है तो उपरोक्त आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।

6. आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति के दौरान पेड़/डंगाल के गिरने अथवा विद्युत प्रवाह/तार से मृत्यु होती है तो दैवीय विपत्ति माना जायें।

(छः) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता –

(1) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई जैसे हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक अक्षमता हुई हो तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 35000.00 (रूपये पैतीस हजार) की अनुदान सहायता दी जाएगी । प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे ।

(2) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई जैसे हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि 75 प्रतिशत से अधिक अक्षमता हुई हो तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 50000.00 (रूपये पचास हजार) की अनुदान सहायता दी जाएगी । प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे ।

(3) **गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भरती रहे** – प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति के हाथ, पैर में फ्रेक्चर जैसे गंभीर शारीरिक क्षति होने पर जिलाध्यक्ष, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रूपये 7500/– तक आर्थिक सहायता स्वीकृति करेंगे ।

(4) **गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से कम अस्पताल में भरती रहे** – प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति के हाथ, पैर में फ्रेक्चर जैसे गंभीर शारीरिक क्षति होने पर जिलाध्यक्ष, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रूपये 2500/– तक आर्थिक सहायता स्वीकृति करेंगे ।

(सात) कुम्हार के भट्टे में ईट तथा खपरे बरबाद होने पर अनुदान सहायता कुम्हारों के भट्टे में ईंट तथा खपरों के अलावा अन्य मिट्टी के बर्तन बरबाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर रूपये 4000.00 (रूपये चार हजार) तक सहायता अनुदान का भुगतान क्षति की मात्रा के अनुसार किया जाएगा ।

(आठ) **अग्नि पीड़ित दुकानदारों को सहायता**

अग्नि पीड़ितों को जिनकी दुकाने दुर्घटना में नष्ट हो जाती है, निम्न प्रतिबंधों के साथ सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराए जायेंगे –

(1) अग्नि पीड़ित दुकानदारों को अधिकतम रूपये 8000.00 (रूपये आठ हजार) तक प्रति दुकानदार आर्थिक सहायता एवं रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार) तक के ऋण की पात्रता होगी ।

(2) सहायता तथा ऋण केवल ऐसे छोटे दुकानदारों को स्वीकृत किया जा सकेगा जिनके दुकानों का अग्नि बीमा न हो तथा दुकान के जल जाने से दुकानदार के पास जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार) केवल से अधिक न हो ।

(3) उपर्युक्त ऋण मांग संख्या–58–मुख्यशीर्ष 6245–दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए कर्जे के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

(4) उपरोक्तानुसार सहायता एवं ऋण अग्नि पीड़ित दुकानदारों के अलावा बाढ़ पीड़ित दुकानदारों को भी देय होगी ।

(नौ) हाथ करघा बुनकरों के औजार लुम पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) मात्र तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर रूपये 1000/– (रूपये एक हजार) मात्र एवं धागा इत्यादि खरीदने के लिए रूपये 2000/– (रूपये दो हजार) मात्र प्रति व्यक्ति राहत सहायता देय होगी।

(दस) **अस्थायी राहत कैम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था** –

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी कैम्पों में रखा जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में अधिकतम 15 दिनों तक अस्थायी कैम्प चलाने की स्वीकृति दे सकेंगे। इससे अधिक 30 दिनों तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा राहत निधि के संचालन हेतु गठित समिति के अनुमोदन से राहत कैम्प संचालित किये जा सकेंगे । इस प्रकार अस्थायी कैम्पों को चलाने के लिए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन रूपये 30/– (रूपये तीस) भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कैम्प के लिए की गई व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कलेक्टर अधिकृत रहेंगे ।

(ग्यारह)–**(1) बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता**– बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों व जिनका बीमा न कराया गया हो), डोंगियों, मछली पकड़ने के तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा –

1	नाव नष्ट होने पर	रूपये 10000/– तक
2	जाल या डोंगी नष्ट होने पर	रूपये 3000/– तक
3	जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए	रूपये 1500/– तक

(ग्यारह)–**(2)** प्राकृतिक आपदा के समय लघु/सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीनों को मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हेतु रू. 4000/– (रूपये चार हजार) प्रति हेक्टेयर सहायता अनुदान दिया जावेगा। परन्तु उक्त सहायता राशि 4 हेक्टेयर भूमिधारकों को देय होगा तथा या रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) से अधिक नहीं होगी।

नोट :–

(1) उपरोक्त सहायता राशि सभी प्रकार की आपदायें के समय हुई क्षति के लिए देय होगी परन्तु ऐसे कृषक को सहायता अनुदान प्राप्त होगी। जो उक्त मत्स्य पालन अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हों ।

(2) इस संबंध में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा नुकसान का आकलन कराया जाकर विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही उक्त सहायता राशि प्रदान की जावेगी ।

(3) ऐसे मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिनका बीमा कराया गया हो या राज्य शासन, सहकारी संस्थायें, ग्राम पंचायतों से निविदा से लिये गये प्रक्षेत्रों के लिए उक्त सहायता राशि देय नहीं होगी ।

(ग्यारह)–(3) मत्स्य पालन प्रक्षेत्रों के मरम्मत एवं पुनर्स्थापन हेतु अनुदान सहायता – प्राकृतिक आपदा के समय मत्स्य पालन क्षेत्र क्षतिग्रस्त या मलवा भर जाने पर सफाई या मरम्मत हेतु लघु/सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीनों को रूपये 6000/– (रूपये छः हजार) प्रति हेक्टेयर आर्थिक अनुदान सहायता दिया जावेगा। परन्तु उक्त सहायता राशि 4 हेक्टेयर भूमिधारकों का देय होगा तथा रूपये 24,000/– (रूपये चौबीस हजार) से अधिक नहीं होगी ।

नोटः–

1. उक्त अनुदान सहायत ऐसे मत्स्य पालन व्यक्तियों को जिन्हे राज्य शासन की किसी भी योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त नही हुई हो, उन्ही हितग्रहियों को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।
2. इस संबंध में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा नुकसान का आकलन कराया जाकर विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही उक्त सहायता राशि प्रदान की जावेगी ।

3. ऐसे मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिनका बीमा कराया गया हो या राज्य शासन, सहकारी संस्थायें, ग्राम पंचायतों से ली गयी सहायता से लिये गये प्रक्षेत्रों के लिए उक्त सहायता राशि देय नहीं होगी ।

(बारह) कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता –
प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुंआ या नलकूप यदि टूट–फूट या धंस जाता है तो उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 10000.00 (रूपये दस हजार) तक सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सकता है ।

(तेरह) बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता– आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर रूपये 5000.00 (रूपये पांच हजार) तक अनुदान सहायता वास्तविक आकलन के आधार पद देय होगी ।

(चौदह) आपदा के समय निः शक्त वृद्ध व्यक्ति को 20/– (रूपये बीस) प्रतिदिन एवं निराश्रित बच्चों को 15/– (पंद्रह रूपये) प्रतिदिन की दर से देय होगा ।

नोट :–
(1) उपरोक्त सहायता राशि सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय देय होगी ।
(2) उक्त सहायता राशि की स्वीकृति पंचायतों की अनुशंसा के आधार पर की जावे ।

...

फार्म – 'एक'
(कंडिका – 7 देखिये)
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4

यह करारनामा आज दिनांक .... को, प्रथम पक्ष राज्यपाल, छत्तीसगढ़ (जो इसके आगे 'राज्यपाल' कहलाएंगे और जिस अभिव्यक्ति में विषम या प्रसंग के विपरीत न होने पर, उनके पदानुवर्ती सम्मिलित होंगे) और द्वितीय पक्ष श्री .... पिता का नाम .... निवास स्थान ...., तहसील – .... जिला .... (जो इसके आगे 'ऋण–गृहिता' कहलाएगा, जिस अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग के विपरीत होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और स्वत्यार्पण–गृहिता सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है ।

चूंकि ऋण–गृहिता .... ने के कारण आई आपदा के निवारण के हेतु .... रूपए के ऋण के लिए राज्यपाल को आवेदन दिया है ।

और चूंकि राज्यपाल निम्नलिखित अनुबन्धों और प्रतिबन्धों के अधीन ऋण देने के लिए सहमत है ।

अतएव अब यह करारनामा इस बात का साक्षी है किः–

(1) ऋण–गृहिता .... रूपए (रूपए ....) की उक्त रकम का उपयोग .... प्रयोजन के लिए करेगा और उसका या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(2) ऋण–गृहिता .... रूपए की रकम उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित .... सात समान वार्षिक किश्तों में प्रतिवर्ष दिनांक .... को या उसके पहले भुगतान करेगा, ऐसी पहली किश्त दिनांक................. को दये होगी ।

(3) उपर्युक्त ऋण के प्रतिमूल्य में ऋण–गृहिता इसके द्वारा .... को इस अभिप्राय से ही ऐसी संपूर्ण संपत्ति राज्यपाल को देय .... रूपए की उक्त रकम और उस पर लगने वाले ब्याज के चुकाने के लिए प्रतिभूमि होगी, साधारण बंधक के द्वारा गिरवी रखता है और भारित करता है ।

(4) प्रतिबंध (2) के अनुसार नियत दिनांक पर समान किशतों का चुकारा न होने अथवा ऋण–गृहिता द्वारा इस करारनामें में किसी भी प्रतिबन का उल्लंघन करने पर, ऐसी त्रुटि या उल्लंघन के दिनांक को अवशिष्ट ऋण की सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित, तत्काल वसूली योग्य हो जाएगी ।

(5) इस करारनामें के अन्तर्गत ऋण–गृहिता से प्राप्त कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(6) इस लिखतम पर दये मुद्रा शुल्क का भुगतान राज्यपाल द्वारा किया जाएगा । इसकी साक्षी में इसके पक्षकारों ने, अपने हस्ताक्षर के सामने निर्दिष्ट दिनांक और वर्ष को इस करारनामें पर अपने हस्ताक्षर किए ।

1. .... राज्यपाल की ओर से
2. .... दिनांक ....

1. .... ऋण–गृहिता के हस्ताक्षर
2. .... दिनांक ....

चूंकि राज्यपाल ने उक्त करारनामें के निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए ऋण–गृहिता प्रतिभूति मांगी है,

अतएव उपर्युक्त रकम के दिये जाने के प्रतिमूल्य में और गृहिता के निवेदन पर मैं .... पिता का नाम .... निवास स्थान .... तहसील .... जिला ....ऋण गृहिता का प्रतिभू इसके द्वारा इसके लिए सहमत हूं कि इस करारनामें के अन्तर्गत ऋण–गृहिता द्वारा देय कोई भी रकम मांगी जाने पर तथा उसके द्वारा दी जाने पर मैं उसका भुगतान करूंगा और इसके द्वारा मैं, अपने आपको, अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, प्रतिनिधियों को ऐसे भुगतान के लिए आबद्ध करता हूं । मैं इस बात के लिए भी सहमत हूं कि इसके अन्तर्गत मेरे द्वारा देय कोई भी रकम भू–राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

आज दिनांक .... को निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये :

1. ....
2. .... प्रतिभू के हस्ताक्षर

फार्म – 'दो'

1.	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम	
2.	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक? यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा	
3.	फसल की हुई हानि का पूर्ण ब्यौरा	
4.	आग, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप या ओलों से नष्ट हुए घर का, कमरों की लंबाई, चौड़ाई और कमरों के उपयोग में लाने का प्रयोजन देते हुए ब्यौरेवार पूर्ण विवरण	
5.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति के पास पशु है ? यदि हां तो पशु जिनकी हानि हुई है, उनका ब्यौरावार पूर्ण विवरण	
6.	पूर्ण औचित्य बतलाते हुए, बांस, बल्ली की मांग	
7.	उस कूप का नाम जहां से बांस एवं बल्ली, सुविधापूर्वक दिया जा सकता हो	
8.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सके ?	
9.	पूर्ण औचित्य बतलाते हुए वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिए उसका ब्यौरेवार विवरण	
10.	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नहीं है ?	
11.	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या यह कोई शोधक्षम प्रतिभूति देने के लिए तैयार है ?	
12.	कितना ऋण मांगा है? ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिए	
13.	अन्य विवरण	

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4
फार्म – 'तीन'

क्र.	व्यक्ति का नाम उसके पिता का नाम निवास स्थान	उस ग्राम का नाम पटवारी हल्के का नाम जहां नुकसानी	क्षति / नुकसानी किस प्रकार की हुई इसका पूर्ण	आवेदन या प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख

		हुई है	विवरण दिया जाये	
1	2	3	4	5

मौके की जांच की तारीख	कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजने की तारीख	शासन द्वारा निर्धारित सहायता के अन्तर्गत की गई सहायता का विवरण एवं सहायता उपलब्ध कराने की दिनांक	जन सहयोग के रूप में उपलब्ध हुई सहायता एवं उसके वितरण का विवरण तथा दी गई सहायता का दिनांक	कैफियत (रिमार्क्स)
6	7	8	9	10